न्यायालय सिविल जज (जृ0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–239/2019

पन्नीलाल बनाम राम कुमार आदि

20.11.2019

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

वादी का कथन है कि उक्त वाद में वादी का सहन विवादित है। विवादित सहन को अक्षर ए बी सी डी से प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण वादी के सहन के दक्षिण रास्ता को अवरूद्ध करके अक्षर डी सी पर जबरन बिना अधिकार के पक्की दीवार बना कर वादी का रास्ता अवरूद्ध कर देना चाहते हैं। अपने कथन के समर्थन में सूची ग–9 से आधार की छायाप्रति ग–10 दाखिल किया गया है।

वादी द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण सहन के दक्षिण रास्ते को अवरूद्ध करके बिना अधिकार पक्की दीवार बना कर रास्ता अवरूद्ध कर देना चाहते हैं। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी के अवलोकर से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का मकान व सहन विवादित भूमि से मिला हुआ अवस्थित है। ऐसी दशा में यह न्यायहित में है कि विपक्षीगण को सुनवाई का अवसर देकर ही प्रार्थना पत्र ग–6 पर कोई आदेश पारित किया जाए।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 दिनांक 20.12.2019 को पेश हो।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

20.11.2019

प्रार्थना–पत्र ग–11 पर सुना। स्वीकृत। वादी पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

20.11.2019

प्रार्थना–पत्र ग–12 वास्ते जारी किये जाने विशेष वाहक पर सुना।

आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र वास्ते जारी किये जाने विशेष वाहक स्वीकार किया जाता है।

तदनुसार वादी इस बाबत आवश्यक पैरवी भीतर तीन दिन करे।

(प्रागदत्त शुक्ला)
प्रभारी सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।